	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक **संक्षिप्त कार्य विवरण**
	पंचम विधान सभा सप्तदश सत्र अंक-04

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2023

(आषाढ़ 30, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 एवं 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री ननकीराम कंवर अनुपस्थित रहे ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि तारांकित प्रश्न संख्या-04 के संबंध में एक सप्ताह के अंदर जानकारी उपलब्ध कराएं।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 51 तारांकित एवं 77 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक-1,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक

महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-02,

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का अवैध खनन गतिविधियों पर बल देते हुए गौण खनिजों के खनन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-03,

(4) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का 10 वां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, तथा

(5) श्री मोहन मरकाम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996(क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

पटल पर रखे ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

मानननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार- आज की कार्यसूची में 32 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक- 22 (6) के तहत् शामिल किया गया है । सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
1.	सर्वश्री नारायण चंदेल, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह
2.	सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर
3.	श्री नारायण चंदेल
4.	श्री अजय चन्द्राकर

5. श्री अजय चन्द्राकर
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री किस्मत लाल नन्द
8. डॉ. रमन सिंह
9. श्री ननकीराम कंवर
10. श्री ननकीराम कंवर
11. श्री अजय चन्द्राकर
12. सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, प्रमोद कुमार शर्मा
13. श्री मोहित राम
14. श्री शिवरतन शर्मा
15. श्री रामकुमार यादव
16. श्री धनेन्द्र साहू
17. श्री लखेश्वर बघेल
18. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
19. डॉ. विनय जायसवाल
20. श्री चंदन कश्यप
21. डॉ. रेणु अजीत जोगी
22. श्री बृजमोहन अग्रवाल
23. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
24. श्री सौरभ सिंह
25. श्री ननकीराम कंवर
26. श्री शिवरतन शर्मा
27. डॉ. विनय जायसवाल
28. श्री रामकुमार यादव
29. डॉ. प्रीतम राम
30. डॉ. प्रीतम राम
31. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
32. श्रीमती इन्दू बंजारे

4. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

मानीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

5. नियम 239- के अन्तर्गत विचाराधीन सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

1. माननीय सदस्य, श्री अजय चंद्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020, दिनांक 19.08.2020 ।
2. माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 33/2022, दिनांक 21.07.2022 ।
3. माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 34/2022, दिनांक 21.07.2022 ।
4. माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह द्वारा माननीय विधि मंत्री मो. अकबर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 35/2022, दिनांक 21.07.2022 ।
5. माननीय सदस्य, श्री अजय चंद्राकर द्वारा माननीय सदस्य, श्री मोहन मरकाम के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 36/2022, दिनांक 10.11.2022 ।
6. माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 37/2023, दिनांक 13.03.2023 ।
7. माननीय सदस्य श्री मोहन मरकाम द्वारा न्यूज पोर्टल पब्लिक स्वर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 38/2023 दिनांक 13.07.2023

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

6. मंत्रि-मण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है ।"

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप-पत्र की प्रति सभा पटल पर रखी ।

7. आरोप पत्र के संबंध में घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - मेरे समक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 20 जुलाई, 2023 को डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के विरूद्ध आरोप लगाने की अनुमति सूचना दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुई है ।

परीक्षणोंपरांत मैंने उसे अनुमति नहीं दी है ।

8. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा महत्वपूर्ण है । मैं उसकी भी जानकारी दे देता हूं । अब मंत्रिमंडल के विरूद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होगी । चर्चा प्रारंभ होने से पहले मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र का यह ऐसा विशिष्ट उदाहरण है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार की कमियों एवं चूकों के संबंध में लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर प्रतिपक्ष को मिलता है । संसदीय प्रक्रिया की यह अच्छी और सराहनीय परम्परा है । मेरा आप सभी से सादर अनुरोध है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में जब आप अपने भाषण में अपने विचार रखेंगे तो व्यक्तिगत एवं अनावश्यक आरोपों से बचें एवं स्वस्थ संसदीय परम्परा के अनुरूप शालीन एवं संसदीय भाषा में अपना पक्ष रखें । आपके द्वारा आरोपों की पुनरावृत्ति न हो, इसका भी ध्यान रखें । सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहते समय शिष्टता, शालीनता, गरिमा अनुरूप तथा संसदीय शब्दावलियों का प्रयोग करें। मैं दोनों पक्षों से यह अनुरोध करता हूं कि पंचम विधान सभा का यह अंतिम सत्र है, अंतिम दिवस है, जिसे हम विदाई सत्र मान सकते हैं। हम इस सत्र का समापन एक-दूसरे के प्रति सौहार्द्रपूर्ण सदाशयतापूर्ण व्यवहार एवं सम्मान के भाव के साथ करें तो संसदीय लोकतंत्र के साथ-साथ छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए यह एक उत्तम उदाहरण होगा । इस पंचम विधान सभा का यह अंतिम सत्र, पक्ष एवं विपक्ष के बीच आपसी सद्भाव एवं

सौहार्द्रपूर्ण वातावरण के साथ सम्पन्न हो, ऐसी मेरी निजी मान्यता एवं विश्वास है । मैं मानता हूं कि आप सभी मेरी इच्छा अनुरूप यहां व्यवहार करेंगे ।

9. मंत्रि-मण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

10. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री ननकीराम कंवर, सदस्य को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके सफल और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं ।

11. मंत्रि-मण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री धरमलाल कौशिक,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, श्री अजय चन्द्राकर,

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 5.09 बजे स्थगित की जाकर 5.26 बजे, समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-4 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सदन में समस्त माननीय सदस्यों का सम्मान है और आसंदी प्रत्येक सदस्य के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने आप सभी की बातें सुनी हैं। मैं पुन: माननीय मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि मर्यादित एवं शालीन शब्दों का प्रयोग कीजिए । ऐसी भाषा न कहें, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों।

श्री टी.एस.सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री मोहन मरकाम, आदिम जाति विकास मंत्री

(लगातार व्यवधान एवं नारेबाजी होने के कारण सदन की कार्यवाही 7.33 बजे स्थगित की जाकर 7.47 बजे, समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, प्रमोद कुमार शर्मा, डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, रजनीश कुमार सिंह, उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री ननकीराम कंवर, श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला बाल एवं विकास मंत्री, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, डॉ. विनय जायसवाल, सर्वश्री रामकुमार यादव, सौरभ सिंह, श्रीमती इन्दू बंजारे,

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री के द्वारा चर्चा का उत्तर देने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

12. जुलाई, 2023 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर को सभा के पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 18 जुलाई, 2023 एवं 20 जुलाई, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर सभा के पटल पर रखे ।

13.सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

पंचम विधान सभा का यह चार दिवसीय सत्र दिनांक 18 जुलाई, 2023 से 21 जुलाई, 2023 के मध्य आहूत रहा, सामान्य तौर पर एक दृष्टि से यह पंचम विधान सभा का अंतिम सत्र भी है। इस सत्र में कुल 4 बैठकें हुईं । इस सत्र के सुव्यवस्थित संचालन के लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं आप सभी माननीय सदस्यगणों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

मुझे स्मरण है कि 4 जनवरी, 2019 को जब आप सबने सर्व सहमति से मुझे इस आसंदी पर बैठाया था, तब मैंने अपने पहले उद्बोधन में पूज्य कबीर साहेब जी के इस दोहे का उल्लेख किया था कि-

कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर।
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर ।।

मैंने विधानसभा अध्यक्ष के अब तक के कार्यकाल में उपरोक्त पंक्तियों को आत्मसात् करते हुए, आपके द्वारा प्रदत्त दायित्वों का पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करने का प्रयास किया है। मुझे आपने सदन के अध्यक्ष की महती जवाबदारी सौंपी थी, मेरी यह पूरी कोशिश रही कि मैं आपके इस विश्वास को बनायें रख सकूं। मैं स्वयं का मूल्यांकन करूं यह उचित नहीं है, इसलिए मेरे कार्यों का मूल्यांकन आप सभी कर सकते हैं, और मेरे कार्यों के प्रति जो आपका दृष्टिकोण होगा, जो मूल्यांकन होगा, उसे ही मैं अपना वास्तविक मूल्यांकन मानूंगा।

पंचम विधानसभा के अपने विधानसभा अध्यक्षीय कार्यकाल को मैं अपने राजनैतिक और संसदीय जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इस अवधि में राज्य के 89 जनप्रतिनिधियों से मुझे उनके ज्ञान और अनुभव से लाभांवित होने का अवसर प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के कार्यकाल की मैं इसलिए भी प्रशंसा करता हूँ और स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लगभग अपने पूरे कार्यकाल में इस विधानसभा ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, उसके सम्मान और स्वाभिमान के लिए आप सभी ने सामूहिक रूप से अपना अधिकतम योगदान दिया।

यह उल्लेखनीय है कि पंचम विधानसभा के कालखंड में ही कोरोना जैसी महामारी की त्रासदी को हम सभी ने देखा विषम परिस्थितियों में भी आप माननीय सदस्यगणों ने अपने संसदीय दायित्वों को बड़े ही साहस के साथ पूर्ण किया। लगभग 06 सत्रों में कोरोना महामारी की सुरक्षा गाईडलाईन का पालन करते हुए, हमने बैठकें सम्पन्न कीं, जनसेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का यह जीवंत उदाहरण है।

पंचम विधानसभा के कार्यकाल में कुछ हमारे लिए दुखद स्मृतियां भी जुडी, जब इस सदन के सदस्य माननीय श्री भीमा मण्डावी जी, माननीय श्री अजीत जोगी जी, माननीय श्री देवव्रत सिंह जी, माननीय श्री मनोज मण्डावी जी एवं माननीय श्री विद्यारतन भसीन जी का असमय निधन हुआ। मैं इन सभी स्वर्गीय माननीय सदस्यगणों का एक बार पुनः स्मरण करते हुए, अपनी ओर से और इस सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के पंचम विधानसभा का कार्यकाल इतिहास में अपनी उपलब्धियों के लिए स्मरण किया जायेगा। इस कार्यकाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष सत्र आहूत हुआ, 26 नवम्बर संविधान दिवस के अवसर पर विशेष चर्चा हुई, महिला दिवस के दिन सभा की कार्यवाही में सदन की महिला सदस्यगणों को चर्चा हेतु विशेष अवसर दिया गया। कोरोना महामारी के समय विधानसभा में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। इस कार्यकाल में विधानसभा के पदाधिकारी एवं माननीय मंत्रिगणों के कक्षों को गरिमा

अनुरूप स्वरूप दिया गया। झीरम नक्सली घटना में आहत एवं प्रभावितों के पारिवारिक सदस्यगणों का सम्मान विधानसभा में किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इस विधान सभा के कार्यकाल में आदिवासी बाहुल्य हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से विशेष सत्र आहूत हुआ । इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, जिनसे पंचम विधानसभा के कार्यकाल का हमेशा सम्मान से स्मरण किया जायेगा।

संसदीय लोकतंत्र का यह रथ पक्ष और प्रतिपक्ष रूपी दो पहियों के सहारे चलता हैं, बिना सजग प्रतिपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना अधूरी है, मैं प्रशंसा करता हूँ हमारे प्रतिपक्ष के माननीय अनुभव सम्पन्न संसदीय ज्ञान से परिपूर्ण माननीय सदस्यगणों का, जिन्होंने लगभग सभी सत्रों में सजग और जीवंत प्रतिपक्ष के भाव को बनाएं रखा । पक्ष के माननीय सदस्यगणों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप संख्या बल में प्रभावी होने के बावजूद आपने सभी सत्रों में सहृदयता और सद्भावना का भाव बनायें रखा।

आज सत्र के अंतिम दिवस अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 12 घंटे 15 मिनट चर्चा हुई। अब मैं आपको इस मानसून सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा।

इस सत्र के कुल 4 दिवसों में लगभग 26 घंटे 06 मिनट चर्चा हुई । 4 बैठकों में 27 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 7 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 274 तारांकित प्रश्न एवं 276 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, इस प्रकार कुल 550 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। यहां यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सत्र में हमारे जागरूक माननीय सदस्यों द्वारा लगभग 94 प्रतिशत प्रश्न आनलाईन माध्यम से लगाए गए । इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 140 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 40 सूचनाएं ग्राह्य हुईं । इस सत्र में कुल 42 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई। नियम 267-क के अंतर्गत शून्यकाल की 25 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें 9 सूचनाएं ग्राह्य एवं 1 सूचना ध्यानाकर्षण से परिवर्तित हुई । वर्तमान सत्र में 43 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 13 ग्राह्य, 24 अग्राह्य एवं 6 विचाराधीन रहीं। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 4 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुए।

वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 3 घंटे 41 मिनट चर्चा हुई।

जैसा कि आपको विदित है, कल दिनांक 22 जुलाई 2023 को उत्कृष्टता अलंकरण समारोह एवं पंचम विधानसभा के माननीय सदस्यगणों का विदाई समारोह माननीय राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन जी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न होगा। आप सभी से मेरा यह सादर अनुरोध है कि इस आयोजन में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनावें। इस वर्ष का उत्कृष्टता अलंकरण समारोह इसलिए भी विशेष है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अब तक के इतिहास में यह प्रथम अवसर जब पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही ओर से माननीय महिला सदस्यों का चयन किया गया है। अर्थात् दूसरे अर्थों में यह मातृशक्ति का सम्मान समारोह भी है। इसलिए इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति सादर अपेक्षित है। मंचीय कार्यक्रम के उपरांत माननीय विधायकगण अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देंगे।

जैसा कि मैंने पूर्व में ही उल्लेख किया कि यह संभावित रूप से पंचम विधानसभा का अंतिम सत्र है । मैं आप सभी सदस्यों के उज्ज्वल, सफल संसदीय राजनैतिक भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष एवं सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित विधानसभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किये ।

14. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

मध्य रात्रि 1.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा